F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1373 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1373

विषय/ Sub: डीसी मास्टर बॉक्स, पार्ट सं.: 2288 00 000 /
DC Master Box, Part No.: 2288 00 000

यह घोषित किया जाता है कि **मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एएसईआरडीसी, लखनऊ – 226 016** द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा **मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड**, असेसरीज़ प्रभाग, लखनऊ- 226 016 द्वारा उत्पादित **"डीसी मास्टर बॉक्स"**, पार्ट सं.: 2288 00 000 को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1373, दिनांक 22 अक्तुबर 2008 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 1373 जारी किया गया था । यह संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1373-1आर, दिनांक 30 जनवरी 2014 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक है।

*This is to state that the **"DC Master Box"** bearing the Part No.: 2288 00 000, designed & developed by **M/s Hindustan Aeronautics Limited**, ASERDC, Lucknow – 226 016 and manufactured by **M/s Hindustan Aeronautics Limited**, Accessories Division, Lucknow – 226 016, was issued with Type Approval No.: 1373 vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1373, dated: 22nd October 2008. It was subsequently renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1373-1R, dated: 30th January 2014 with its validity up to 31st December 2018.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण **01 जनवरी 2019** से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा **31 दिसम्बर 2023** तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के **तीन (03) महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए (लखनऊ),** डीआरडीओ. सेमिलैक, द्वारा एचएएल पोस्ट, लखनऊ – 226 016, से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f **01st January 2019** based on the satisfactory performance feedback and is valid up to **31st December 2023** unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request **RCMA (Lucknow)**, DRDO, CEMILAC, C/o HAL Post, Lucknow – 226 016, **three (03) months** before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1373, दिनांक 22 अक्तुबर 2008 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के **अनुच्छेद चार (04)** में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1373, dated: 22nd October 2008 is amended as stated herewith.

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक) बेंगलूरु– 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

*"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification **(CEMILAC)**, Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]".*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial Type Approval Certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. /No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए/TA–1373/2R
दिनांक /Date : 10 December 2018
फैक्ससं./Fax No: 080 – 25230856

07 DEC 18

पी जयपाल / P.JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)